

## पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली

मंगलवार, 12 सितंबर, 2023 को सुबह 11.30 बजे से दोपहर 1:49 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 37वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 37वीं वार्षिक आम बैठक कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं कंपनी अधिनियम और परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, मंगलवार, 12 सितंबर, 2023 को सुबह 11.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की गई थी।

निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

1. श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार और शेयरधारक
2. श्री अजय तिवारी, सरकारी नामित निदेशक
3. श्री भास्कर भट्टाचार्य, स्वतंत्र निदेशक और आईटी रणनीति समिति के अध्यक्ष
4. श्रीमती उषा सजीव नायर, स्वतंत्र निदेशक और नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध और शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति की अध्यक्ष
5. श्री प्रसन्न तंत्री, स्वतंत्र निदेशक और लेखापरीक्षा समिति और सीएसआर और सतत विकास समिति के अध्यक्ष
6. श्री राजीव रंजन झा, निदेशक (परियोजना) और शेयरधारक
7. श्री मनोज शर्मा, निदेशक (वाणिज्यिक)

भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्युत मंत्रालय के श्री शैलेश कुमार (उप सचिव-वितरण) और पीएफसी की मुख्य सतर्कता अधिकारी श्रीमती सिम्मी.आर.नाकरा भी उपस्थित थे। इसके अलावा, कंपनी सचिव श्री मनीष कुमार अग्रवाल भी उपस्थित थे। दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स और प्रेम गुप्ता एंड कंपनी के प्रतिनिधि, संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक और श्रीमती नयन हांडा, पार्टनर, मेसर्स मेहता एंड मेहता, सचिवीय लेखा परीक्षक वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

उपरोक्त के अलावा, 123 शेयरधारकों ने वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लिया।

- I. शुरुआत में, कंपनी सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कंपनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक में भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि और लेखा परीक्षकों सहित शेयरधारकों का स्वागत किया और शेयरधारकों से सीएमडी, निदेशकों और मुख्य सतर्कता अधिकारी का परिचय कराया। उन्होंने आगे पुष्टि की कि बैठक के लिए अपेक्षित कोरम मौजूद है।
- II. चेयरमैन ने शेयरधारकों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ पीएफसी के परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन, मैक्रो-इकोनॉमिक परिदृश्य और सरकारी योजनाओं सहित पावर सेक्टर आउटलुक, पीएफसी के नए आदर्श वाक्य 'नई सोच नई राहें', पीएफसी के भविष्य के बिजनेस श्रस्ट क्षेत्रों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस

और सामाजिक जिम्मेदारी पहलों पीएफसी द्वारा, पीएफसी व्यवसाय में ईएसजी का एकीकरण आदि पर प्रकाश डाला।

- III. कंपनी सचिव ने बताया कि नोटिस, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सी एंड एजी रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और निदेशक मंडल द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरण/टिप्पणियां सभी शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से भेज दी गई हैं और पीएफसी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और इसलिए इसे पढ़ा हुआ माना जा सकता है।
- IV. कंपनी सचिव ने बताया कि कंपनी की एजीएम कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही थी और इसने सदस्यों को कंपनी के केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से आयोजित दो-तरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग लेने में सक्षम बनाया है। इसके अलावा, लिस्टिंग विनियमों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने सदस्यों को 9 सितंबर, 2023 से 11 सितंबर, 2023 तक कट-ऑफ तिथि यानी 6 सितंबर, 2023 तक ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की थी। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के प्रयोजन के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव श्रीमती नयन हांडा को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। आगे बताया गया कि जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, उन्हें बैठक में दोबारा वोट देने की आवश्यकता नहीं है। बैठक की सूचना में संदर्भित वैधानिक रजिस्टर और अन्य दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध थे।
- V. चेयरमैन ने बताया कि शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने और मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए कंपनी द्वारा सभी संभव प्रयास किए गए हैं।
- VI. इसके बाद चेयरमैन ने कंपनी सचिव से प्रस्तावित प्रस्तावों के उद्देश्य और निहितार्थ के साथ 37वीं एजीएम के लिए व्यवसाय की वस्तुओं को पढ़ने का अनुरोध किया।
- VII. कंपनी सचिव ने प्रस्तावित व्यावसायिक मदों को पढ़ा और प्रत्येक मद के लिए अपेक्षित लागू प्रस्तावों को पारित करके उसकी मंजूरी मांगी, जैसा कि नीचे बताया गया है:

मद सं.	विवरण
<b>ऑर्डिनरी बिजनेस</b>	
1.	प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के लिए: क) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन ऑडिटेड वित्तीय विवरण, जिसमें 31 मार्च, 2023 को ऑडिटेड बैलेंस शीट और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और निदेशक मंडल की रिपोर्ट, वैधानिक लेखा परीक्षक और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ शामिल हैं। ख) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जिसमें 31 मार्च, 2023 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ शामिल हैं।
2	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करने और इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करने के लिए
3	श्री आर. आर. झा (डीआईएन: 03523954) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना, जो रोटेशन

	से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए योग्य हैं।
4	सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना
<b>विशेष व्यवसाय</b>	
5	'प्रतिभूति प्रीमियम खाते' को इस सीमा तक पूंजीकृत करके बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी देना कि पीएफसी के प्रत्येक शेयर का धारक प्रत्येक चार (4) के लिए 10/- रुपये के अंकित मूल्य के एक (1) प्रत्येक 10/- रुपये अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर नए इक्विटी शेयर का हकदार होगा।
6	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, (डीआईएन: 08530587) की नियुक्ति।

- VIII. कंपनी सचिव ने आगे बताया कि एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा सक्रिय हो गई है और बैठक के समापन के 15 मिनट बाद सक्रिय रहेगी।
- IX. इसके बाद, जिन शेयरधारकों ने एजीएम के लिए 'स्पीकर' के रूप में खुद को पहले से पंजीकृत किया था, उन्हें बातचीत सत्र के लिए आमंत्रित किया गया। स्पीकर शेयरधारकों ने कंपनी के संचालन और भविष्य की रणनीति के बारे में पूछताछ की। सीएमडी द्वारा सभी प्रश्नों का विधिवत उत्तर दिया गया। शेयरधारकों ने भी कंपनी के कार्य-निष्पादन की सराहना की।
- X. सीएमडी ने बैठक समाप्ति की घोषणा की।

\*\*\*\*\*